न्यायालय अति० जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/72/25	2025/141	03.06.2025	28.10.2025

उनवान

1 शिमरू पुत्र श्री पल्टू जाति मेव निवासी ग्राम कारोली खालसा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान

—अपीलांट

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान

2 भूरेखां पुत्र श्री शहबाज जाति मेव निवासी ग्राम कारोली खालसा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ जिला अलवर निर्णय दिनांक 18—02—2013 वाके ग्राम कारोली खलसा तहसील रामगढ़।

उपस्थितः—
01. श्री जनार्दन शर्मा —वकील अपीलान्ट
02. श्री जे सी सतीजा —रेस्पोडेंट सं. 2

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के पारित निर्णय दिनांक 18.02.2013 वाके ग्राम तहसील रामगढ़ व जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 जरिये वकील उपस्थित एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को पूर्व में उक्त आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ जिला अलवर दिनांक 18—02—2013 की कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट को उक्त आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10—05—22 को हुई, जब पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी।

जानकारी होने पर अपीलान्ट ने आलौच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 10—05—22 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 11—5—22 को तैयार होकर दिनांक 11—5—22 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 11—5—22 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 10—5—22 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 10—5—22 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। आज्ञा दिनांक 18—02—2013 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 10—5—22 तक का समय अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाईल्मी होने के कारण मियाद में गुजरा दिये जाने योग्य

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

आलोच्य आज्ञा न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं। निरस्त फरमायी जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 522 रकबा 0.33 हैक्टेयर ग्राम कारोली खालसा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित हैं। जिसमें से ख०न० 730/522 रकबा 0.08 है आराजी विवादित है। उक्त आराजी गिन अपीलान्ट की तन्हा खरीदशुदा आराजी हैं, जिस पर गिन अपीलान्ट बरोज खरीद से आज तक बिना किसी रोक टोक शांतिपूर्वक काबिज रहकर कुल कार्य काश्तकारी कर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। तथा राजस्व रिकार्ड जगाबंदी आदि में गिन अपीलान्ट के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा हैं। गिन अपीलान्ट के अलावा उक्त विवादित आराजी से रैस्पाडैन्ट संख्या 2 भूरेखां पुत्र श्री शहबाज जाति मेव निवासी ग्राम कारोली खालसा तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान अथवा अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं हैं, ना उक्त रैस्पाडैन्ट उक्त विवादित आराजी पर कभी काबिज रहा हैं, ना वर्तमान में हैं, ना उसके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हैं। गिन अपीलान्ट व रैस्पाडैन्ट संख्या दो के मध्य उक्त विवादित आराजी का कभी कोई विभाजन लिखित अथवा मौखिक रूप से नही हुआ हैं, ना ही गिन अपीलान्ट ने विभाजन हेतु कोई सहमति दी हैं, ना ही कानूनन उक्त विवादित आराजी का विभाजन किया जा सकता हैं। परन्तु तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या एक ने कोई गौर नही किया। इसलिए अपीलाधीन उक्त आलोव्य आज्ञा निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

रैस्पाडैन्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन आज्ञा में उक्त विवादित आराजी का बंटवारा किया गया हैं, जो बंटवारा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के विपरित किया गया हैं। उक्त विवादित आराजी का कानूनन कोई बंटवारा नही हो सकता हैं। जिस बंटवारा के आधार पर अपीलाधीन आज्ञा रैस्पाडैन्ट संख्या 1 द्वारा रैस्पाडैन्ट संख्या 2 से साज बाज होकर पारित की गयी हैं। जिस आज्ञा से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

रैस्पाडैन्ट संख्या 1 ने आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व ना तो मौका देखा, ना मौके की कोई रिपोर्ट तलब की गई। ना ही आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब किया गया, ना अपीलाण्ट को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण अपास्त होने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 18–02–2013 अपास्त फरमायी जावें।

वकील रेस्पोडेंट सं. 2 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ में दोनो खातेदार शिमरू पुत्र पल्टू व भूरेखां पुत्र शहबाज खां मेव ने उपस्थिति होकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दोनों पक्षकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार गवाहों की मौजूदगी में राजीनामा से विभाजन स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्ज कराने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का/भू०अ०नि० की मौका एवं जॉच रिपोर्ट तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 में दर्ज हिस्से अनुसार शिमरू पुत्र पल्टू मेव सा० देह खातेदार राहिन SBI रामगढ़ गु.बि.क आराजी खसरा न. 3/67 रकबा 0.08 है० वाही 1, 731/522 रकबा 0.25 है०, किस्म बारानी1, कुल किता 2 रकबा 0.33 है० एवं भूरे खां पुत्र शहबाज खां आराजी खसरा नं. 520 रकबा 0.13 है० बारानी1, रकबा 521, 0.11 है० बारानी1, 730/522 रकबा 0.08 है० बारानी1, कुल किता 3, रकबा 0.32 है० का मौका व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ ने दोनों पक्षकार एवं गवाहों की उपस्थिति में उक्त विभाजन पत्र को

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पढ़कर सुनाया गया जिसे दोनों पक्षकारों ने सही होने पर स्वीकार किया गया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि आराजी खसरा नं. 522 रकबा 33 है० अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है जिसके समर्थन में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 05.07.1977 विक्रेता काले खां पुत्र शहबाज खां की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें काले खां पुत्र शहबाज खां जाति मेव निवासी कारोली खालसा तहसील रामगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 2 रकबा 7 बिस्वा 373 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 374 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी का 1/2 भाग शिमरू पुत्र पल्टू जाति मेव को बेचान किया गया जिसे शिमरू व भूरे खां राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 व 1/2 के हिस्सेदार दर्ज रिकॉर्ड किये गये हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2013 को पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 10.05.2022 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने जाने पर उक्त आज्ञा की जानकारी अपीलांट को हुई। अपीलांट ने दिनांक 10.05.2022 का नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनांक 11.05.2022 को प्राप्त की गई। इसके उपरान्त अपीलांट ने सलाह मशविरा किया जाकर अपील दिनांक 16.05.2022 को पेश की गई। अपीलांट ने बिना देरी के निर्णय की जानकारी तारीख से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। दिनांक 10.05.2022 से दिनांक 16.05.2022 तक समय अपीलाण्ट नेकनियति युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने पर काबिल माफी तथा मुजरा दिये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा लगभग 9 वर्ष से अधिक विलम्ब से न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलाण्ट का अपील में हित निहित होने पर एवं माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2013 आलोच्य आज्ञा न्यायिक विधि एवं तथ्यों एवं मौके व कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड के खिलाफ है। विवादित आराजी हाल खसरा नं. 522 रकबा 0.33 है० वाके ग्राम कारोली खालसा तहसील रामगढ़ जिसमें से खसरा नं 730/522 रकबा 0.08 है० आराजी विवादित है। उक्त आराजी अपीलांट की क्रय–शुदा आराजी है। मिन–अपीलांट के अलावा उक्त विवादित आराजी से रेस्पोडेंट सं. भूरे खां पुत्र शहबाज खां जाति मेव निवासी कारोली खालसा तहसील रामगढ़ अथवा अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है। अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 के मध्य उक्त विवादित आराजी का कभी कोई विभाजन लिखित अथवा मौखिक रूप से नहीं हुआ है और न ही मिन अपीलांट ने विभाजन हेतु कोई सहमति दी है परन्तु तहत अदालत रेस्पोडेंट सं. 1 ने कोई गौर नहीं किया। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दोनो खातेदार शिमरू पुत्र पल्टू व भूरेखां पुत्र शहबाज खां मेव की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार गवाहों की मौजूदगी में आपसी सहमति से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 में दर्ज हिस्से अनुसार शिमरू पुत्र पल्टू मेव सा० देह खातेदार साहिन SBI रामगढ़ गु.वि.क आराजी खसरा न. 3/67 रकबा 0.08 है० चाही 1, 731/522 रकबा 0.25 है०, किस्म बारानी1, कुल किता 2 रकबा 0.33 है० एवं भूरे खां पुत्र शहबाज खां आराजी खसरा नं. 520 रकबा 0.13 है० बारानी1, रकबा 521, 0.11 है० बारानी1, 730/522 रकबा 0.08 है० बारानी1, कुल किता 3, रकबा 0.32 है० पर उक्त विभाजन अनुसार मौके पर काबिज हो गये हैं। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि आराजी खसरा नं. 522 रकबा 33 है० अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है जिसके समर्थन में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 05.07.1977 विक्रेता

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

काले खां पुत्र शहबाज खां की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें काले खां पुत्र शहबाज खां जाति मेव निवासी कारोली खालसा तहसील रामगढ़ जिला अलवर से 1/2 हिस्से की आराजी क्रय की गई जिससे शिगरू व भूरे खां राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 व 1/2 के हिस्सेदार दर्ज रिकॉर्ड किये गये हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ के आदेश दिनांक 18.02.2013 वाके ग्राम कारोली खालसा तहसील रामगढ को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान